# **Inter Sazette of India**

असाधारण

# **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494 ]नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2000/आश्विन 3, 1922No. 494 ]NEW DEL/HI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2000/ASVINA 3, 1922

# पर्यावरण और वन मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 742( अ ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1996 (1996 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् ·--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2000 है।
  - (2) इस अधिसूचना में अन्यथा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,---
- (1) अनुसूची 1 में पटाखों के लिए शोर मानकों से संबंधित क्रम संख्याक 89 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''90. कोयला खानों के लिए मानक

# 1. वायु क्वालिटी मानक

निम्नलिखित थूल उत्पादक स्रोतों से 500 मीटर की दूरी पर प्रबल हवा की दशा पर विचार करते हुए नीचे की ओर हवा की दिशा म निलंबित कणिकीय पदार्थ (एस. पी. एम.), अन्त: श्वसनीय कणिकीय पदार्थ (आर. पी. एम.), सल्फर डाईआक्साइड (एस आ<sub>.</sub>) और नाइट्राजन आक्साइड (एन ओ.) का संकेन्द्रण नीचे दी गई सारणी-I, और II, और III में विनिर्दिप्ट मानकों से अधिक नहीं होगा।

# धूल उत्पादन के स्रोत

लदाई या उतराई, कर्षण सड़क, कोयला परिवहन सड़क, कोयला हथालने का संयंत्र (मी. एच. वी.) रेल सरकवां, विस्फोट, छेदन. अधिक ऊंचे ढेर या कोई अन्य धूल उत्पादन के बाहरी स्रोत जैसे कोक भट्टी (कठोर तथा मुलायम), इष्टिका उद्योग, पास को मड़क आदि।

2593 Gl/2000

प्रवर्ग	प्रदूषक	समय के हिसाब से औसत	परिवेशी वायु में संकेन्द्रण	माप को विधि
1	2	3	4	5
I				
नई कोयला खाने (ऐसी कोयला खाने जिनमें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् प्रचालन प्रारंभ किया है)	निलंबित कणिकीय पदार्थ (एस पी एम)	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	360 माइक्रो ग्रा./मी³ 500 माइक्रो ग्राम/मी³	डच्च प्रबलता प्रतिचयन (औसत बहाव दर 1.01 मी³/मिनट से कम नहीं होगा)
	अन्त:श्वसनीय कणिकीय पदार्थ (10 म्यू/मी से कम आकार के) (आर पी एम)	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	180 माइक्रो ग्रा./मी³ 250 माइक्रो ग्रा./मी³	अन्त:श्वसनीय कणिकीय पदार्थ प्रतिचयन और विश्लेपण
	सल्फर डाईआक्साइड (एस ओ <sub>2</sub> )	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	80 माइक्रो ग्रा./मी³ 120 माइक्रो/मी³	1. उन्नत पश्चिमी और गैइके विधि 2. पराबेंगनी प्रतिदीप्ति
	नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ <sub>2</sub> )	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	80 माइक्रो ग्रा/मी³ 120 माइक्रो ग्रा./मी³	1. जैकब और होवीजर उपांतरित (ना-आर्सेनिक) विधि 2. गैस प्रावस्था की रसायनिक संदोप्ति
		सारणी-11		
प्रवर्ग	प्रदूपक	समय के हिसाब से औसत	परिवेशी वायु में संकेन्द्रण	माप को विधि
1	2	3	4	5
II				
नीचे दिए गए विद्यमान कोयला क्षेत्र/खानें : करणपुरा, रामगढ़, गिरिडीह, राजहारा	निलंबित कणिकीय पदार्थ (एस पी एम)	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	430 माइक्रो ग्रा./मी³ 600 माइक्रो ग्राम/मी³	उच्च प्रवलता प्रतिचयन ( औसत बहाव दर 1.1 मी³/मिनट से कम नहीं होगा)
बरधा, नागपुर, सिलेबाड़ा, पेंच, कान्हों, पाथर खेड़ा, उमरेर, कोरवा, चिरीमिरी, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, (जिनके	अन्त:श्वसनीय कणिकीय पदार्थ ( 10 म्यू/मी से कम आकार के) ( आर पी एम)	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	215 माइक्रो ग्रा./मी³ 300 माइक्रो ग्रा./मी³	अन्तःश्वसनीय कणिकीय पदार्थ प्रतिचयन और विश्लेषण

\_\_\_\_

.

.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण				
1 '	2	3	4	5
अंतर्गत बैकुण्डपुर, विश्रामपुर भी हैं ), सिंगरौली, इब-घाटी	सल्फर डाईआक्साइड (एस ओ <sub>2</sub> )	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	80 माइक्रो ग्रा./मी³ 120 माइक्रो ग्रा /मी³	1. उन्नत पश्चिमी और गैइके विधि 2. परावैंगनी प्रतिदीपित
और कोई अन्य	नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ <sub>2</sub> )	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	80 माइक्रो ग्रा./मी³ 120 माइक्रो ग्रा./मी	1. जैकब और होवीजर उपांतरित (ना-आर्सेनिक) विधि
				<ol> <li>गैम प्रावम्था की रसायनिक मंदीपि</li> </ol>
		सारणी-111		
प्रवर्ग	प्रदूपक	समय के हिसाब से औसत	परिवेशी वायु में संकेन्द्रण	माप को विधि
1	2	3	4	5
III				
झरिया—रानीगंज— बोकारो कोयला क्षेत्रों में अवस्थित कोयला खानें	निलंबित कणिकीय पदार्थ (एस पी एम)	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	5000 माइक्रो ग्रा./मी³ 700 माइक्रो ग्राम/मी³	उच्च प्रबलता प्रतिचयन ( औसत वहाव दर 1.1 मी <sup>3</sup> /मिनट में कम नहीं होगा)
	अन्त:प्रवसनीय कणिकीय पदार्थ (10 म्यू/मी से कम आकार के) (आर पी एम)	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	250 माइक्रो ग्रा./मी³ 300 माइक्रो ग्रा./मी³	अन्त:श्वमनीय कणिकीय पदार्थ प्रतिचयन और विश्लेपण
	सल्फर डाईआक्साइड (एस ओ <sub>2</sub> )	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	80 माइक्रो ग्रा./मी³ 120 माइक्रो ग्रा./मी³	1. उन्नत पश्चिमी और गैइके विधि 2. परावेंगनी प्रतिदीपित
	नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ <sub>2</sub> )	वार्षिक औसत* 24 घंटे**	80 माइक्रो ग्रा/मी 120 माइक्रो ग्रा./मी³	1. जैकब और होवीजर उपांतरित (ना-आर्सेनिक) विधि 2. गैस प्रावस्था की रसायनिक संदीप्ति

1-1-

नोट :— \*खंड 2 में अधिकथित प्रतिचयन की आवृत्ति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करते हुए एक वर्ष में किए गए माप के लिए वार्षिक गणितीय माध्यम \*\*24 घंटों के % मूल्य एक वर्ष में समय के 92% के आधार पर निकाला जाएगा। तथापि इस समय के 8% तक वढ़ाया जा सकेगा किन्तु इसे दो लगातार दिनों तक नहीं बढ़ाया जाएगा।

अप्राधिकृत संरचना मानिटरी के लिए निकटतम आवासीय या वाणिज्यिक स्थान के रूप में नहीं ली जाएगी।

उस दशा में जिसमें कोई आवासीय या वाणिज्यिक या औद्योगिक स्थान किसी धूल उत्पादक स्रोत से 580 मीटर के भीतर आता है, अनुसूची VII के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय परिवेशी वायु क्वालिटी मानक लागू होंगे।

# प्रतिचयन की आवृत्ति

--खंड 1 में दिए गए धूल उत्पादक स्रोतों पर एक पखवारे में एक बार आवृत्ति पर वायु क्वालिटी मानीटरी की जाएगी।

--मासिक मानीटरी के परिणाम स्वरुप यदि यह पाया जाता है कि प्रदूषक का मूल्य तीन लगातार महिनों के लिए विनिर्दिष्ट मानकों के 50 प्रतिशत से कम है तब प्रति चयन आवृति 3 महिने में दो दिनों के लिए शिफ्ट की जा सकेगी।

—यदि मूल्य विनिर्दिष्ट मानकों से अधिक हो गया है तो वायु क्वालिटी प्रति चयन एक सप्ताह में दो बार किया जाएगा। यदि चार लगातार सप्ताहों के परिणाम से यह संकेत मिलता है कि प्रदूपकों का संकेद्रण विनिर्दिष्ट मानकों के भीतर है तब एक पक्ष की मानिटरी प्रत्यावर्तित की जा सकेगी।

# 3. बहिस्राव मानक

सीवर या किसी धारा या भूमि में निकाले जा रहे बहि:स्राव के लिए मानक नीचे दिए जा रहे हैं

पी.एच.	_	5.5 से 9.0
कुल निलंबित पिंड (टी.एस.एस.)	_	100 मि.ग्रा./लि.
		200 मि. ग्राम. /लि.(सिंचाई के लिए भूमि)
तेल और ग्रीस (ओ. एंड जी.)		10 मि. ग्राम./लि.
रासायनिक आक्सीजन डिमांड	<u> </u>	250 मि. ग्रा./लि.

(इन पेरामीटरों की मानीटरिंग आवृत्ति पखवाड़े में एक बार होगी)

वैकल्पिक पेरामीटर अनुसूची 6 में पर्यावरण प्रदूपकों के निकालने के लिए साधारण मानकों में उपदर्शित सभी अन्य पेरामीटर खंड 3 में विनिर्दिष्ट बहि:स्राव मानकों के अतिरिक्त होंगे।

(मानीटरिंग आवत्ति वैकल्पिक पेरामीटरों के लिए एक वर्ष में एक ही खार होगी)

# 4. शोर स्तर मानक

6.00 ए. एम-10.00 पी. एम.	10.00 पी. एम-6.00ए. एम.
सौर स्तर लैक 75 डी बी (ए)	लैक 70 डी बी (ए)

(सौर स्तर के लिए मानीटरिंग आवृत्ति पखवाड़े में एक बार होगी)

खान सुरक्षा महानिदेशक (डी जी एम एम) द्वारा विनिर्दिष्ट शोर की व्यावसायिक परित्याग सीमा का कोयला खानों द्वारा पालन किया जाएगा।

91. पैट्रोल या मिट्टी के तेल से चलने वाले जनरेटर सैटों के लिए शोर सीमा

# 1. शोर सीमा

<u>पैट्रोल मिट्टी के तेल से चलने वाले नए जनरेटर सैटों के लिए शोर सीमा निम्न प्रकार होगी</u>

	शोर सीमा	
	1 सितम्बर 2001	1 सितम्बर 2002
ध्वनि शक्ति स्तर	90 डी बी. ए.	86 डी. बी. ए.

## एल डब्ल्यू ए

### 2. लागू होना

ये नियम ऐसे सभी नए जनरेटर सेटों को लागू होंगे जिनमें ईंधन के रूप में पट्रोल या मिट्टी के तेल उपयोग में लाया जाता है और वे भारत में विनिर्मित हैं।

परन्तु ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :

(क) भारत से बाहर निर्यात के प्रयोजन के लिए विनिर्मित या आयातित कोई जनरेटर सेट या

(ख) ऐसा जनरेटर सेट जो केवल नमूने के प्रयोजन के लिए आशायित है और भारत में विक्रय के लिए नहीं है।

**3. प्रमाणन की अपेक्षा** : ऐसे जनरेटर सैट के (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उत्पाद'' कहा गया है) जिसको ये नियम लागू होते हैं प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रदाता'' कहा गया है) को ऐसे सभी उत्पाद माडलों के लिए टाइग अनुमोदन का विधिमान्य प्रमाणपत्र लेना होगा जो विनिर्दिष्ट तारीखों के पश्चात् विनिर्मित या आयात किए जाएं।

**4. उत्पादन की अनुरूपता का सत्यापन** : प्रत्येक प्रदाता, प्रत्येक वर्ष खंड 8 में विनिर्दिष्ट प्रमाणन निकाय द्वारा उत्पादन की अनुरूपता के लिए अपने उत्पादों का सत्यापन कराएगा।

**5. ऐसे जनरेटर सैटों का विक्रय जो इन नियमों के अनुपालन में नहीं है** : ऐसे माडल उत्पादों का विक्रय जिनके पास विधिमान्य टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र नहीं है या जो उत्पादन की अनुरूपता के लिए सत्यापन द्वारा अवधारित शोर सीमा का पालन नहीं करता, भारत में प्रतिसिद्ध होगा।

6. अनुरूपता लेबल लगाने की अपेक्षा : (1) ''उतपाद'' का प्रदाता उत्पाद के ऊपर अनुरूप लेबल लगाएगा जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा :—

(क) लेबल टिकाऊ और पठनीय होगा,

(ख) लेबल उत्पाद के सामान्य प्रचालन के लिए आवश्यक भाग पर लगाया जाएगा और उत्पाद के जीवनकाल में उसे प्रतिस्थापित करने की सामान्यतया आवश्यकता नहीं होगी।

(2) अनुरूपता लेबल में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी :---

(क) प्रदाता का नाम और पता (यदि पता स्वामी के हस्तलंख में वर्णित है तो वह लेबल में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा),

(ख) यह कथन कि ''यह उत्पाद पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुरूप है।''

(ग) टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र संख्या और समय की अवधि (अर्थात् सितम्बर, 2001 या सितम्बर, 2002)।

7. नौडल अभिकरण : (1) केन्द्रीय प्रदूपण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकरण होगा।

(2) इन नियमों के कार्यान्वयन में किसी विवाद या कठिनाई की दशा में मामला नोडल अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा।

(3) नोडल अभिकरण इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विवादित विषय भी है, कोई सलाह देने के लिए स्थाई समिति का गठन करेगा।

8. प्रमाणन निकाय : निम्नलिखित अभिकरण टाइप अनुमोदन के लिए या उत्पादन की अनुरूपता के सत्यापन के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं :—

(1) आटोमोटिव रिसर्च एसोशिएशन ऑफ इंडिया, पुणे;

(2) राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली;

(3) नेवल साईंस एंड टैक्नालोजी लेबोटरी, विशाखापट्टनम;

(4) ईंधन नियंत्रण शोध संस्थान, पालघाट; और

(5) राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला, बंगलौर।

9. अनुपालन और परीक्षण प्रक्रिया : अनुपालन और परीक्षण प्रक्रिया केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणन अभिकरण को महायता से तैयार को जाएगी और प्रकाशित की जाएगी।

# 92. टैक्सटाइल उद्योग से बहिस्त्राव के मानक

पैरामीटर	प्रति लिटर मिलि ग्राम ( मिग्रा/लि. ) से अनधिक संकेन्द्रण, सिवाय पी.एच.
पी.एच.	5.5-9.8
कुल निलंबित पिण्ड	100
जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बी ओ डी)	30
रसायन आक्सीजन मांग (सी ओ डी)	250
कुल अवशिष्ट क्लोरीन	1
तेल और ग्रीस	10
कुल क्रोमियम (सी आर)	2
सल्फाइड (एस)	2
फिनोलिक मिश्रण (सी 6 एच 6 ओ एच)	1

- टिप्पण :—1. जहां उपचारित बहिस्राव ऐसे नगर सीवर में डाला जाता है जो अंतिम उपचार संयंत्र में जाता है, वहां जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बी ओ डी) की 100 मि.ग्रा./लि. तक और रसायन आक्सीजन मांग (सी ओ डी) की 400 मि.ग्रा./लि. तक छूट दी जा सकेगी।
  - बहिस्राव की क्वालिटी (एक लिटर प्रति किलोग्राम उत्पाद) संयुक्त सूती वस्र उद्योग संयुक्त ऊनी वस्त्र उद्योग और टैक्सटाइल प्रसंस्करण उद्योग में क्रमश: 100, 250 और 80 होगी।

# 93. स्नान-जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मानदंड

जलाशय या उसके भाग में के जल का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। जल के उपयोगों और क्रियाकलापों के प्रकार पर निर्भर रहते हुए जल क्वालिटी की कसौटी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उसकी उपयुक्तता अवधारित करने के लिए विनिर्दिष्ट कर दी गई है। विभिन्न प्रकार के उपयोगों में एक उपयोग यह भी है जो जल के उच्चतर स्तर की क्वालिटी या शुद्धता की मांग करता है और उस जलाशय के विस्तार में उसे ''अभिहित सर्वोत्तम उपयोग'' के रूप में जाना जाता है। इस पर आधारित प्राथमिक जल क्वालिटी की कसौटी के निबंधनों के अनुसार विभिन्न उपयोगों के लिए जल क्वालिटी अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं। सारणी 1 में स्नान-जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी की तर्कयुक्त कसौटी विनिर्दिष्ट की गई है।

# सारणी १

# स्नान-जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मानदंड

(संगठित बाह्य स्नान के लिए प्रयुक्त जल)

मानदंड		तर्कआधार
1. फिकल	500 (वांछनीय)	निम्न मल जल संदूपण सुनिश्चित करने के लिए,
कोली फॉर्म	2500 (अधिकतम अनुज्ञेय)	फिकल कोलीफामं और फिकल स्ट्रेप्टोकोक्की के
एम. पी. एन./100 मि.लि.	<i>i i</i>	<b>बारे में यह माना गया है कि वे जीवाणु रोगोत्पादकता</b>
2. फिकल स्ट्रेप्टोकोक्की	100 (वांछनीय)	को दर्शित करते हैं। वांछनीय और अनुज्ञेय सीमाएं पर्यावर्णिय दशाओं में उतार-चढ़ाव
एम. पी. एन./100 मि.लि.	500 (अधिकतम अनुज्ञेय)	को अनुज्ञात करने के लिए सुझाव देती हैं जैसे कि मौसमी परिवर्तन, बहाव की दशाओं में परिवर्तन आदि।
2. पी. एस.	6.5 से 8.5 के बीच	यह रेंज त्वचा और आँख, नाक, कान आदि जैसे कोमल अंगों को संरक्षण प्रदान करती है जो बाह्य स्नान के दौरान सीधे प्रभावित होते हैं।
3. घुली हुई आक्सीजन		5 मि.ग्रा./लि. के न्यूनतम घुली हुई आक्सीजन संकेन्द्रण ठीक ऊपरीधारा में आर्गनिक प्रदूपण युक्त आक्सीजन लेने से युक्तियुक्त मुक्ति सुनिश्चित करते हैँ जो तलछट से अनाइरोबिक गैसों (आबनोर्क्सायस गैसों) के उत्पादन को निवारित करने के लिए आवश्यक है।
4. जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बी ओ डी) (27 <sup>0</sup> से. पर 3 दिन)		3 मि.ग्रा./लि. या इससे कम जल की जैव रसायन आक्सीजन मांग आक्सीजन डिमांडिग प्रदूपकों से युक्तियुक्त मुक्ति सुनिश्चित करती है और आबनाक्सीयस गैसों के उत्पादन को रोकर्ता है।''

(2) अनुसूची 6 के शोर मान दंडों से संबंधित भाग ङ में, मोटरगाड़ियों के लिए शोर सीमा से संबंधित भाग क के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा :---

# ''कक. 1 जनवरी, 2003 से मोटर यानों के लिए शोर सीमा

मोटर यानों के लिए निम्नलिखित शोर सीमा 1 जनवरी, 2003 से लागू होगी। अनुसरण किए जाने वाली परीक्षण पद्धति भा मा.

3028-1998 होगी।

क्रम सं.	यान को किस्म	1 जनवरी, 2003 से शोर सीमा डी बी ए
1. दो प	नहिया	)
80 7	सें. मी. <sup>3</sup> तक विस्थापन	75
80 7	सें. मी.³ से अधिक किन्तु	
175	5 सें. मी. <sup>3</sup> तक विस्थापन	77
175	सें. मी. <sup>3</sup> से अधिक विस्थापन	80
2. तिर्पा	हिया	
175	सें. मी. <sup>3</sup> तक विस्थापन	77
175	. सें. मी. <sup>3</sup> से अधिक विस्थापन	80 .
3. यात्री	ो कार	75
4. यात्री सक	ो या वाणिण्यिक मोटरयान, जिसका ल यान भार 4 टन तक है	77
सक	ल यान भार 4 टन से अधिक है किन्तु	
12 र	टन तक है	80
सक	ल यान भार 12 टन से अधिक है	82

निकलने वाले शोर की विद्यमान सीमाएं, 1 जनवरी, 2003 तक भा. मा. 3028-1998 परीक्षण पद्धति के अनुसार जारी रहेंगी।''

[फा. सं. क्यू-15017/16/99-सी.पी.डब्ल्यू.]

# विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : --- मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन का. आ. 433 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64 (अ), तारीख 18 जनवरी, 1988, का.आ. 3 (अ), तारीख 3 जनवरी, 1989, का.आ. 190 (अ), तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913 (अ), तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का.आ. 12 (अ), तारीख 8 जनवरी, 1998, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 30 अगस्त, 1998, का.आ. 23 (अ), तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93 (अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि. 95 (अ), तारीख 12 फरवरी, 1992, सा. का. नि. 329 (अ) तारीख 13 मार्च, 1992 सा.का.नि. 475 (अ), तारीख 5 मई, 1992, सा.का.नि. 797 (अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1992, सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422 (अ), तारीख 19 मई, 1993, सा.का.नि. 801 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631 (अ), तारीख 31 अक्तूबर, 1997, सा.का.नि. 504 (अ), तारीख 20 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 7 (अ), तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 688 (अ), तारीख 5 अक्तूबर, 1999 द्वारा किए गए।

# **MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

# **NOTIFICATION**

## New Delhi, the 25th September, 2000

G.S.R. 742(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely.

- 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2000.
  - (2) Save as otherwise provided in this notification, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,
  - (1) In Schedule I, after serial number 89 relating to Noise standards for fire crackers and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: --

# "90. Standards for coal mines

# 1. Air Quality Standards

The Suspended Particulate Matter (SPM), Respirable Particulate Matter (RPM), Sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>) and Oxides of Nitrogen (NOx) concentration in downwind direction considering predominant wind direction, at a distance of 500 metres from the following dust generating sources shall not exceed the standards specified in the Tables I, II and III given below:

# **Dust Generating Sources**

Loading or unloading, Haul road, coal transportation road, Coal handling plant (CHP), Railway sliding, Blasting, Drilling, Overburden dumps, or any other dust generating external sources like coke ovens (hard as well as soft), briquette industry, nearby road etc.

	1)
_	-

----

.

-----

# Table 1

Category	Pollutant	Time weighted average	Concentrat- ion in Ambient Air	Method of Measurement
1	2	3	4	5
I New Coal Mines (Coal Mines	Suspended Particulates Matter (SPM)	Annual Average* 24 hours**	360 μg/m <sup>3</sup> 500 μg/m <sup>3</sup>	<ul> <li>High Volume Sampling (Average flow rate not less than 1 1 m<sup>3</sup>/minute)</li> </ul>
commenced operation after the date of publication of this	Respirable Particulate Matter (size less than 10 µm) (RPM)	Annual Average* 24 hours '*	180 μg/m <sup>3</sup> 250 μg/m <sup>3</sup>	Respirable Particulate Matter sampling and analysis
notification)	$\begin{array}{c} \text{Sulphur}\\ \text{Sulphur}\\ \text{Dioxide}\\ (\text{SO}_2)\\ \hline \text{Oxide}  \text{of}\\ \text{Nitrogen as}\\ \text{NO}_2 \end{array}$	Annual Average* 24 hours** Annual Average*	80 μg/m <sup>3</sup> 120 μg/m <sup>3</sup> 80 μg/m <sup>3</sup>	<ol> <li>Improved west and Gaeke method</li> <li>Ultraviolet fluorescene</li> <li>Jacob &amp; Hochheiser Modified (Na-Arsenic) Method</li> </ol>
		24 hours**	120 µg/m <sup>3</sup>	2 Gas phase Chemilumine- scence

# Table II

Category	Pollutant	Time	Concentra-	Method of Measurement
-		weighted	tion in	
		average	Ambient	
			Air	
1	2	3	4	5
II	Suspended	Annual	430 μg/m <sup>3</sup>	- High Volume Sampling
	Particulates	Average*		(Average flow rate not
Existing coal	Matter			less than 1 1 m <sup>3</sup> /minute)
fields / mines	(SPM)	24 hours**	600 μg/m <sup>3</sup>	
giv <del>en</del> below:				
Karanpura,	Respirable	Annual	215 μg/m <sup>3</sup>	Respirable Particulate
Ramgarh,	Particulate	Average*		Matter sampling and
Giridih,	Matter (size			analysis
Rajhara,	less than 10	24 hours**	$300  \mu g/m^3$	
Wardha,	μm) (RPM)			
Nagpur,	Sulphur	Annual*	$80  \mu g/m^3$	1. Improved west and
Silewara,	Dioxide	Average		Gaeke method
Pench	(SO <sub>2</sub> )			
Kanhan,		24 hours**	$120 \mu g/m^3$	2. Ultraviolet fluorescene
Patharkhera,	Oxide of	Annual	80 μg/m <sup>3</sup>	1. Jacob & Hochheiser
Umrer,	Nitrogen as	Average*		Modified (Na-Arsenic)
Korba,	NO <sub>2</sub>			Method
Chirimiri,		24 hours**	$120 \ \mu g/m^3$	2 Gas phase Chemilumine-
Central India				scence
Coalfields				
(including		}		
Baikuntnpur,		}		
Bisrampur),				
Singrauii, ID		}		
valley,				
Faicher,				
Valley and				
valley and		}		1
Talcher, Godavary- Valley and any other				

.

- - - - E

# Table III

Category	Pollutant	Time weighted average	Concentra- tion in Ambient Air	Method of Measurement
1	2	3	4	5
III Cost mines	Suspended Particulates Matter	Annual Average*	500 μg/m <sup>3</sup>	<ul> <li>High Volume Sampling (Average flow rate not less than 1 1 m<sup>3</sup>/minute)</li> </ul>
located in the coal fields of	(SPM)	24 hours**	700 μ <b>g/m</b> <sup>3</sup>	
- Jharia - Raniganj - Bokaro	Respirable Particulate Matter (size	Annual Average*	250 μg/m <sup>3</sup>	Respirable Particulate Matter sampling and analysis
_ ک	less than 10 (RPM)	24 hours**	300 µg/m <sup>3</sup>	
     	Sulphur Dioxide (SO <sub>2</sub> )	Annual Average*	80 μg/m <sup>3</sup>	<ol> <li>Improved west and Gaeke method</li> <li>Ultraviolet fluorescene</li> </ol>
		24 hours**	$120  \mu g/m^3$	
	Oxide of Nitrogen as NO <sub>2</sub>	Annual Average*	80 μg/m <sup>3</sup>	1. Jacob & Hochheiser Modified (Na-Arsenic) Method
-		24 hours**	$120 \mu\text{g/m}^3$	2. Gas phase Chemilumine- scence

Note :

- Annual Arithmatic mean for the measurements taken in a year, following the guidelines for frequency of sampling laid down in clause 2.
- \*\* 24 hourly / 8 hourly values shall be met 92% of the time in a year However, 8% of the time it may exceed but not on two consecutive days.

Unauthorised construction shall not be taken as a reference of nearest residential or commercial place for monitoring.

In case any residential or commercial or industrial place falls within 500 metres of any dust generating sources, the National Ambient Air Quality Standards notified under schedule VII shall be applicable.

# [PART II—SEC. 3(i)]

# 2. Frequency of Sampling

- Air quality monitoring at a frequency of once in a fortnight at the dust generating sources given in clause 1 shall be carried out.
- As a result of monthly monitoring, if it is found that the value of the pollutant is less than 50% of the specified standards for three consecutive months, then the sampling frequency may be shifted to two days in a quarter year (3 months).
- In case, the value has exceeded the specified standards, the air quality sampling shall be done twice a week. If the results of four consecutive weeks indicate that the concentration of pollutants is within the specified standards, then fortnight monitoring may be reverted to.

# 3. Effluent Standarus

The standards for effluent discharge into sewer or stream or land, are given below

pH	-	5 5 to 9.0
Chemical Oxygen Demand (COD)	-	250 mg/l
Total Suspended Solids (TSS)	-	100 mg/l
•		200 mg/l (Land for irrigation)
Oil & Grease (O & G)	-	10 mg/l
(Monitoring frequency of these parame	ters shall be	e once in a fortnight)

**Optional parameters** : All other parameters indicated in the general standards for discharge of environment pollutants under Schedule VI, shall be in addition to the effluent standards specified under clause 3. (Monitoring frequency shall be once in a year for the optional parameters)

4. Noise Level Standards

	6.00 AM - 10.00 PM	10.00 PM - 6.00 AM
Noise level	Leq 75 dB(A)	Leq 70 dB(A)

(Monitoring frequency for noise level shall be once in fortnight) Occupational exposure limit of noise specified by Director General of Mines Safety (DGMS) shall be complied with by the coal mines.

# 91. Noise Limit for Generator Sets run with Petrol or Kerosene

# 1. Noise limit

Noise limit for new generator sets run with petrol or kerosene shall be as given below:

	Noise Limit from	
	September 1, 2001	September 1, 2002
Sound Power Level	90 dBA	86 dBA
L <sub>WA</sub>		

# 2. Applicability

These rules shall apply to all new generator sets using petrol or kerosene as fuel, - manufactured in or imported into India.

Provided that these rules shall not apply to:

- (a) any genset manufactured or imported for the purpose of exports outside India, or
- (b) the genset is intended for the purpose of sample only and not for sale in India.

# 3. Requirement of certification

Every manufacturer or importer (hereinafter referred to as "supplier") of genset (hereinafter referred to as "product") to which these rules apply must have a valid certificate of type approval for all the product models being manufactured or imported after the specified dates.

# 4. Verification of conformity of production (COP)

Every supplier shall subject its products to the verification for conformity of production, by certification body specified in clause 8, every year.

# 5. Sale of generator sets not complying with these rules

The sale of a product model, not having valid type approval certificate, or not complying with the noise limits, as determined by the verification for conformity of production, shall be prohibited, in India.

# 6. Requirement of conformance labeling

- 6(1) The supplier of the 'product' must affix a conformance label on the product meeting the following requirements:
  - (a) the label shall be durable and legible, .
  - (b) the label shall be affixed on a part necessary for normal operation of the 'product' and not normally requiring replacement during the 'product' life.
- 6(2) The conformance label must contain the following information:
  - (a) name & address of the supplier (if the address is described in the observation and it may not be included in the label)
  - (b) statement that "this product conforms to the Environment (Protection) Rules, 1986
  - (c) type approval certificate number and time phase (i.e. September 2001 or September 2002).

# 7. Nodal agency

- (1) The Central Pollution Control Board shall be the nodal agency for implementation of these rules.
- (2) In case of any dispute or difficulty in implementation of these rules the matter shall be referred to the nodal agency.
- (3) The nodal agency shall constitute a Standing Committee to advise it on all matters; including the disputed matters, related to the implementation of these rules.

# 8. Certification body

The following agencies are authorised for type approval and for verification of conformity of production.

- (1) Automotive Research Association of India, Pune;
- (2) National Physical Laboratory, New Delhi;
- (3) Naval Science & Technology Laboratory, Visakhapatnam,
- (4) Fluid Control Research Institute, Palghat, and
- (5) National Aerospace Laboratory, Bangalore.

# 9. Compliance and testing procedure

The compliance and testing procedure shall be prepared and published by Central Pollution Control Board, with the help of the certification agencies.

# 92. Standards for Effluents from Textile Industry

Parameter	Concentration not to exceed, milligram per litre (mg/l), except pH
pH	5.5 - 90
Total suspended solids	100
Bio-chemical oxygen demand (BOD)	30
Chemical oxygen demand (COD)	250
Total residual chlorine	1
Oil and grease	10
Total chromium as Cr	· 2
Sulphide as S	2
Phenolic compounds as C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	1

# Note:

- 1. Where the treated effluent is discharged into municipal sewer leading to terminal treatment plant, the BOD may be relaxed to 100 mg/l and COD to 400 mg/l.
- 2. The quantity of effluent (litre per kilogram of product) shall not exceed 100, 250 and 80 in composite cotton textile industry, composite woollen textile industry and textile processing industry, respectively.

# Primary Water Quality Criteria for Bathing Waters

# In a water body or its part, water is subjected to several types of uses. Depending on the types of uses and activities, water quality criteria have been specified to determine its suitability for a particular purpose. Among the various types of uses there is one use that demands highest level of water quality or purity and that is termed as "Designated Best Use" in that stretch of water body. Based on this, water quality requirements have been specified for different uses in terms of primary water quality criteria. The primary water quality criteria for bathing water are specified along with the rationale in table 1.

# Table 1.

CRIT	ERIA	RATIONALE
1. Fecal Coliform MPN/100 ml:	500 (desirable) 2500 (Maximum Permissible)	To ensure low sewage contamination. Fecal coliform and fecal streptococci are considered as they reflect the bacterial pathogenicity.
<ol> <li>Fecal Streptococci MPN/100 ml:</li> </ol>	100 (desirable) 500 (Maximum Permissible)	The desirable and permissible limits are suggested to allow for fluctuation in environmental conditions such as seasonal change, changes in flow conditions etc.
2. pH:	Between 6.5 -8.5	The range provides protection to the skin and delicate organs like eyes, nose, ears etc. which are directly exposed during outdoor bathing.
3. Dissolved Oxygen:	5 mg/1 or more	The minimum dissolved oxygen concentration of 5 mg/l ensures reasonable freedom from oxygen consuming organic pollution immediately upstream which is necessary for preventing production of anaerobic gases (obnoxious gases ) from sediment.
4. Biochemical Oxygen demand 3 day,27°C:	3 mg/1 or less	The Biochemical Oxygen Demand of 3 mg/1 or less of the water ensures reasonable freedom from oxygen demanding pollutants and prevent production of obnoxious gases";

# PRIMARY WATER QUALITY CRITERIA FOR BATHING WATER (Water used for organised outdoor bathing)

93.

(2) in Schedule VI, in Part E relating to Noise Standards, after A relating to Noise Limits for Automobiles, the following shall be inserted, namely:

# "AA Noise limits for vehicles with effect from the 1<sup>st</sup> January, 2003

The following noise limits for vehicles shall be applicable from the 1<sup>st</sup> day of January, 2003. The test method to be followed shall be IS:3028-1998.

S. No.	Type of vehicle	Noise Limits from 1 <sup>st</sup> January, 2003, dBA
1.	Two wheeler Displacement upto 80 cm <sup>3</sup>	75
	Displacement more than 80 cm <sup>3</sup> but upto 175 cm <sup>3</sup>	77
	Displacement more than 175 cm <sup>3</sup>	80
2.	Three wheeler Displacement upto 175 cm <sup>3</sup>	77
	Displacement more than 175 cm <sup>3</sup>	80
3.	Passenger car	75
<b>4</b> .	Passenger or commercial vehicle Gross vehicle weight upto 4 tonne	77
	Gross vehicle weight more than 4 tonne but upto 12 tonne	80
	Gross vehicle weight more than 12 tonne	82

The existing limits on pass-by noise shall continue with the test method IS 3028-1998 till 1<sup>st</sup> January, 2003."

> [F. No. Q-15017/16/99-CPW] VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

17

2593 (1) 200-3

Note :-The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E) dated the 19<sup>th</sup> November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433(E) dated the 18<sup>th</sup> April, 1987, S.O. 64(E) dated the 18the January, 1988, S.O. 3(E) dated 3<sup>rd</sup> January, 1989, S.O. 190(E) dated the 15<sup>th</sup> March, 1989, G.S.R. 913(E) dated the 24<sup>th</sup> October, 1989, S.O. 12(E) dated 8<sup>th</sup> January, 1990, G.S.R. 742(E) dated the 30<sup>th</sup> August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16<sup>th</sup> January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21<sup>st</sup> February, 1991, G.S.R. 95(E) dated the 12<sup>th</sup> February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13<sup>th</sup> March, 1992, G.S.R. 475(E) dated the 5<sup>th</sup> May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 19<sup>th</sup> May, 1993, G.S.R. 801 (E) dated the 31<sup>st</sup> December, 1993, G.S.R. 176 (E) dated the 3<sup>rd</sup> April, 1996, G.S.R. 631 (E) dated the 31<sup>st</sup> October 1997, G.S.R. 504 (E) dated the 20<sup>th</sup> August, 1998, G.S.R. 7 dated the 21<sup>st</sup> October, 1999, M. 6.S.R. 7 dated the 31<sup>st</sup> October 1997, G.S.R. 682 (E) dated the 5<sup>th</sup> October, 1999.